17/5/18 पत्रावली पेश हुई वकील उमाशंकर उपस्थित/अनु
पत्रावलियों की अधिकारी/अन्य कार्यों में व्यस्तता के कारण आज
इस प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही नहीं हो सकी है। अतः पत्रावली
पूर्ववत दिनांक 25/6/18 को पेश हो।

25/6/18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत 2018 के अन्तर्गत आयोजित कैम्प कोर्ट ~~[illegible]~~ बगासा में पेश हुई। हमने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का आद्योपांत अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रकरण वर्ष 2012 से विचाराधीन है इस प्रकार कुछ यह प्रकरण प्रथम दृष्टया नहीं है। बसुविला, श्री वेंकुलाल की गवाही के पक्ष में नहीं है। फलस्वरूप उक्त प्रमाण सारहीन होने से बाजिब किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल दफ्तर हो।